अध्याय 6

उद्योग क्षेत्र

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- उद्योग, औद्योगीकरण व औद्योगिक क्रांति का अर्थ एवं महत्व।
- भारत की औद्योगिक नीतियाँ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो का विकास।
- लघु एवं कुटीर उद्योग: अर्थ, महत्व व समस्याएँ।
- महारत्न नवरत्न एवं मिनी रत्न।
- नया कम्पनी अधिनियम, 2013।
- 6ठी आर्थिक गणना।
- औद्योगिक रूग्णता।
- औद्योगिक वित्त व उसके स्त्रोत।

परिचय (Introduction)

उद्योग, विकास का पर्याय है। यही कारण है पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उद्योगों को **'आधुनिक अर्थव्यवस्था का मन्दिर'** कहा था। सूक्ष्म, लघु, मध्यम व वृहत स्तर पर उद्योग-धन्धे स्थापित किये जाते हैं जिनके पूंजी निवेश आधार व उत्पादन की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है परन्तु इनमें एक बात सदैव सामान्य रहती है—रोजगार सृजन व उत्पादन में वृद्धि जो प्रत्यक्ष रूप से देश की जीडीपी में वृद्धि करती है। भारत में आज भी कृषि आधारित उद्योगों जैसे—चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग की प्रधानता है जिसके चलते एक ओर औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है तो वहीं दूसरी ओर कृषि आधारित उद्योगों के चलते, कृषि क्षेत्र का महत्व बना रहता है अर्थात् उद्योग आधारित अर्थव्यवस्थायें, कृषि क्षेत्र के विकास, आधारभूत संरचना का विकास, बेरोजगारी दर को कम करने व प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है।

उद्योग का अर्थ (Meaning of Industry)

मशीन तथा विद्युत शक्ति द्वारा संचालित उपकरणों द्वारा किये जाने वाले उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप को उद्योग कहते हैं। एक उद्योग एक समान उत्पादन करने वाली फर्मो का समूह होता है। जैसे—चीनी उद्योग। इसमें सभी फर्मे चीनी का उत्पादन और विक्रय की व्यवस्था करती है।

औद्योगीकरण का अर्थ

यह उत्पादन की वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन हस्त उपकरणों या परम्परावादी तरीकों के स्थान पर शक्ति द्वारा संचालित मशीनों के माध्यम से होता है। शक्ति संचालित मशीनों का उपयोग न केवल कारखानों बल्कि यातायात, संचार, परिवहन तथा कृषि में भी किया जाता है।

औद्योगिक क्रांति का अर्थ

औद्योगिक क्रांति शब्द, इंग्लैण्ड में हुए औद्योगिक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त हुआ था जहाँ उत्पादन के लिये कल-कारखाने स्थापित कर भारी व विद्युत संचालित उपकरणों के सहयोग से भारी मात्रा में उत्पादन करना प्रारम्भ किया गया था, चूंकि उत्पादन मशीनों से भारी मात्रा में होता है तो कम लागत में उत्पादित वस्तु पर लाभ का प्रतिशत स्वतः ही बढ़ जाता है।

उद्योग का महत्व

किसी अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों की भूमिका बड़ी निर्णायक होती है क्योंकि उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्थायें कृषि व सेवा क्षेत्र के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है। अर्थात् कृषि क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है तो दूसरी ओर उत्पादित माल, बाजार तक पहुँचाने

के लिए आधारभूत संरचना जैसे—सड़के, मालगाड़ी, जलमार्ग, बिजली आपूर्ति, वित्त व्यवस्था (बैंक), दूरसंचार जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का भी विकास संभव हो जाता है।

भारत की औद्योगिक नीतियाँ (India's Industrial Policies)

किसी भी औद्योगिक नीति में पद्धतियों, सिद्धांतों, नियमों और उसके संचालन का समावेश होता है। यही औद्योगिकीकरण के ढांचे को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। नई औद्योगिक नीति 1991 में शुरू की गई थी जो अब तक जारी है। इससे पहले उद्योगों का संचालन विभिन्न नीतिगत वक्तव्यों से होता था। औद्योगिक नीति को एक निश्चित रूप देने का काम पचासवें दशक के दौरान ही हुआ। इसके लिए 1956 में एक प्रमुख नीति की घोषणा की गई। 1956 से पहले आजादी के तुरंत बाद 1948 में एक औद्योगिक नीति बनाई गई थी। 1956 के बाद औद्योगिक नीतियों का तांता सा लग गया। 1973, 1977, 1980, 1985, 1988 और 1990 में ये नीतियां व्यापक रूप से घोषित हुई। लेकिन इन सारी नीतियों में 1956 की नीति का ही अक्स नज़र आता है जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके लागू किया गया। इन संशोधनों में उद्योग क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान निहित था।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1948

1948 में औद्योगिक नीति का जो प्रस्ताव आया था उसमें नियंत्रण से पूर्ण मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना को अपनाया गया था। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है।

अन्य विशेषताएं—इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को चार भागों में बांटा गया है, जो निम्नवत् है—

1. उद्योग जिन पर केन्द्र सरकार का विशेष नियंत्रण है—अस्त्र-शस्त्र, आणविक ऊर्जा और रेल परिवहन।
2. मिश्रित क्षेत्र—कोयला, लोहा, इस्पात, विमान और जलपोत का निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ और बेतार यंत्रों (रेडियो को छोड़कर) का निर्माण तथा खनिज तेल। यद्यपि दस वर्षों के लिए इस क्षेत्र में निजी उपक्रमों के जिम्मे ही सबकुछ था परन्तु इस क्षेत्र के हर नए उपक्रमों के कार्य भार की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गयी।
3. सरकारी नियंत्रण मे 18 उद्योग हैं। जिसमें प्रमुख हैं—ऑटोमोबाइल, लोहे के अलावा अन्य धातुएं, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, खनिज, रक्षा संबंधी उद्योग इत्यादि। यद्यपि सरकार ने इस बात को माना है कि ये उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है और इनका संचालन भी बहुत जरूरी है परन्तु इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं उठायी।
4. निजी क्षेत्र—वे सारे उद्योग जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है।
   - निजी क्षेत्र ने औद्योगिक विकास में लघु और कुटीर उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया है।
   - इस नीति में इस बात को भी माना गया है कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण में विदेशी पूंजी और उद्यमों की भूमिका होती है। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया कि इसका पूरा नियंत्रण भारतीयों के हाथ में होना चाहिए।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956

1948 मे जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव अपनाया गया उसके बाद भारत मे चार महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं—

1. संविधान की आधार शिला रखी गई जिसमें कई मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। साथ ही राज्य नीति के लिए संविधान ने निर्देश जारी किए।
2. पहली पंचवर्षीय योजना का समापन (1951-56)
3. सामाजिक और आर्थिक नीति के आधारभूत लक्ष्य के रूप में समाज के समाजवादी ढांचे को मान्यता।
4. 1951 मे उद्योगों के लिए विकास और संचालन एक्ट का लागू होना। इन परिवर्तनों ने एक नई औद्योगिक नीति की जरूरत को सामने लाया जिसके कारण 1948 की औद्योगिक नीति को समाप्त कर दिया गया और 1956 में एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई।

1956 की औद्योगिक नीति के उद्देश्य इस प्रकार थे—

- संवृद्धि दर को बढ़ाना।
- सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करके, भारी उद्योगों का विकास करके और सहकारी समितियों का निर्माण करके औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना।
- आय की असमानता को कम करना।
- राष्ट्रीय हित की सीमा में निजी क्षेत्रों को विकास और विस्तार की अनुमति प्रदान करना।

1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने उद्योगों को तीन भागों में बांटा जो निम्नवत् है—

परिशिष्ट अ—राज्य का एकाधिकार—इस वर्ग मे उन सभी उद्योगों को शामिल किया गया हैं जो राज्य के नियंत्रण मे थे जैसे—रक्षा, भारी उद्योग, खनिज, परिवहन, संचार और बिजली से संबंधित 17 उद्योगों को चिन्हित किया गया। इनमे से शस्त्र, आणविक ऊर्जा, रेल और विमान उद्योग सरकार के विशेष नियंत्रण में रहे।

परिशिष्ट ब—मिश्रित क्षेत्र—सभी उद्योग जिन पर राज्य का स्वामित्व होता है। इसमें राज्य की ओर से नए-नए उपक्रम स्थापित होते रहते है। निजी उपक्रमों की केवल यह भूमिका होती है कि वे राज्य के प्रयासों के पूरक बने। इसमे 12 उद्योग शामिल हैं—अन्य खनिज उद्योग और धातुएं जो परिशिष्ट 'अ' में शामिल नहीं हैं, एल्युमिनियम, मशीनी औजार, लौह-अयस्क और इस्पात, रसायन उद्योग, दवाई, खाद, संश्लेषित रबड़, कोयले का कार्बनीकरण, सड़क परिवहन और समुद्री परिवहन और रासायनिक खाद आदि।

परिशिष्ट स—निजी क्षेत्र—सभी उद्योग जो सूची अ और ब में शामिल नही है निजी क्षेत्र के लिए खोले गये। इसमें राज्य की तरफ से निजी क्षेत्र को काफी सुविधा दी जाती है।

- इस प्रस्ताव में न केवल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के परस्पर अस्तित्व पर जोर दिया गया बल्कि इस बात पर भी बल दिया कि दोनों एक दूसरे को परस्पर सहयोग प्रदान करें। फिर भी निजी क्षेत्र को सरकारी नियमों और नियंत्रण के अंदर ही काम करने की अनुमति थी।
- लघु और कुटीर उद्योगों के महत्व पर बल दिया गया।
- विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की जरूरत पर जोर दिया गया ताकि औद्योगिकीकरण का लाभ सारे देश को मिल सके।
- इस नीति में इस बात पर भी बल दिया गया कि एक समाजवादी समाज में मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा हो और उन्हें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके अलावा उद्योगों के विकास के लिए प्रबंधन से मजदूरों का जुड़ा रहना जरूरी है।

नई औद्योगिक नीति, 1991

24 जुलाई 1991 में सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। यह कदम अस्सी के दशक में उदारीकरण प्रक्रिया का नमूना मात्र था। नई औद्योगिक नीति पर्याप्त रूप से औद्योगिक अर्थतंत्र का विनियमन करती है। इस नई नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—पिछले लाभों में और वृद्धि करना, कमजोरियो और दोषो को सुधारना, उत्पादकता में वृद्धि बनाए रखना, रोजगार को लाभकारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत प्रतिद्वन्द्वी के रूप में उभरना। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने कई कदम उठाए जो निम्नलिखित हैं—

- **औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन**

निवेश का स्तर चाहे कुछ भी रहा हो, नई औद्योगिक नीति में लगभग सभी क्षेत्रों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। परन्तु कुछ क्षेत्रों जैसे—सुरक्षा, सामाजिक व पर्यावरण से जुड़े विषयों पर लाइसेंस की अनिवार्यता को बनाये रखा गया और साथ ही खतरनाक वस्तुओं के निर्माण अभिजात वर्गों के उपभोग की वस्तुओं को भी लाइसेंस नीति के अन्तर्गत शामिल किया गया।

इस नई औद्योगिक नीति में 14 उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग को आवश्यक बना दिया गया था जैसे—कोयला, अल्कोहल, पेट्रोलियम, चीनी, सिगरेट, हानिकारक केमिकल, दवाई और औषधि, अज्वलनशील पदार्थ, कागज, लकड़ी, वसा और तेल, जानवरों के रोंएदार चमड़े, इलेक्ट्रानिक्स, वायुयान और सुरक्षा सामग्री, औद्योगिक विस्फोटक इत्यादि।

इस उपाय के साथ ही लगभग 85 प्रतिशत उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। अस्तित्वमान उद्योगों के लिए एक सुलभता यह भी दी गयी कि वे बाजार की जरूरतों के हिसाब से विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मे निम्नलिखित 5 उद्योगों को अनिवार्य लाइसेन्स की परिधि मे रखा गया है—

1. एल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ
2. तम्बाकू के सिगार व सिगरेट तथा तैयार तम्बाकू के अन्य विकल्प
3. वायु, आकाश तथा रक्षा से संबंधित इलेक्ट्रानिक
4. दियासलाइयो सहित औद्योगिक विस्फोट (पटाखे)
5. खतरनाक रसायन

- **सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करना**

1956 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जिन उद्योगों को आरक्षित किया गया उनकी संख्या 17 थी जो 1991 तक कम होते-होते 8 रह गई और 1993 मे केवल 8 हो गई। जिनमें शामिल है—(1) अस्त्र-शस्त्र और सुरक्षा उपकरणों की अन्य सामाग्रियां, रक्षा-विमान और आयुध, (2) आणविक ऊर्जा, (3) कोयला और लिग्नाइट, (4) आणविक ऊर्जा से संबधित खनिज (1953 के उत्पादन और उपयोग नियंत्रण निर्देश के अंतर्गत), (5) खनिज तेल और (6) रेल परिवहन, (7) लौह, मैंगनिज क्रोम, जिप्सम, स्वर्ण और हीरों का खनन,(8) ताँबा, सीसा, जस्ता, टिन मोलिडिब्रम, और विलफ्रामक का खनन ।

सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अभी भी आरक्षित उद्योग हैं परन्तु ये उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित हैं जो सुरक्षा और सामरिक नीति से संबंधित है। वर्तमान मे निम्नलिखित 2 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है—(1) परमाणु ऊर्जा (2) परमाणु ऊर्जा अनुसूची में निर्देष्टि खनिज

नई औद्योगिक नीति में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि तकनीकी रूप से पिछड़े सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा करना सरकार का उत्तरदायित्व है। इसके अलावा छोटे-छोटे और गैर-सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों की भी समीक्षा सरकार करेगी। आमतौर पर इन क्षेत्रों का सामाजिक महत्व कम होता है। मरम्मत योग्य इकाइयों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFAR) के हवाले कर दिया जाता है ताकि पुर्नस्थापन और पुर्ननिमाण के मामले में सलाह मिल सके। सार्वजनिक क्षेत्र के शेष उपक्रमों के लिए यह प्रावधान किया गया कि उन्हें भरपूर प्रबंधन स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए सहमति पत्र का सहारा लिया जाएगा।

नई औद्योगिक नीति मे यह बात साफ-साफ कही गई है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक होनी चाहिए और इसके लिए सरकार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है कि वह निजी क्षेत्र को आमंत्रित करे।

- **एकाधिकार एवं प्रतिबन्धक व्यापार व्यवहार अधिनियम (MRTP) की परिसम्पत्ति सीमा समाप्त**

ऐसी कम्पनियां जिनकी न्यूनतम परिसम्पत्ति सीमा 100 करोड़ रूपये थी उन्हें एकाधिकार और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अधीन कर दिया गया था। इन कम्पनियों को कुछ गिने चुने उद्योगों में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। साथ ही सरकारी अनुमोदन भी अनिवार्य कर दिया गया था। औद्योगिक लाइसेंसिंग के अलावा,

किसी भी निवेश प्रस्ताव के लिए इन कम्पनियों को पूर्व-अनुमति भी लेनी पड़ती थी। इस प्रकार विकास और विविधिकरण के लिए इन कम्पनियों ने जो भी योजनाएं निर्मित की, वह कारगार सिद्ध नहीं हुई। इसलिए नई औद्योगिक नीति मे एकाधिकार और प्रतिबन्धक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों की परिसम्पत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम का संशोधन इस प्रकार हुआ है कि अब निवेश के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं रह गई। इस संशोधित अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी तरह एकाधिकारिक, प्रतिबंधक और अवांछित व्यापारिक गतिविधियों को रोका जाए जिससे उपभोक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, लेकिन निजी क्षेत्र के उद्योगों को कार्य करने की स्वतंत्रता भी दी जाये।

- **विदेशी निवेश को प्रोत्साहन**

एक सीमित अथवा बन्द अर्थव्यवस्था के रूप में काम करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने भारत में विदेशी पूंजी निवेश की इच्छा कभी नहीं जताई। नई औद्योगिक नीति इस संदर्भ में पथ से हटकर एक नया कदम है। सरकार ने न केवल कठोर अधिनियम FERA 1979 को परिवर्तित किया बल्कि विदेशी निवेश (FI) को दोनों रूपों-प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष को प्रोत्साहित भी किया। विदेशी निवेश के प्रत्यक्ष रूप को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment – FDI) कहा गया है, जिसके तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्यम स्थापित किये। इन उद्यमों के स्वामित्व में उनका हिस्सा 26 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक था एनरॉन तथा कोक इसमें अग्रणी थे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरूआत 1991 में की गई। विदेशी निवेश के अप्रत्यक्ष रूप को पोर्टफोलियो निवेश योजना (PIS) कहा गया जिसकी औपचारिक शुरूआत 1994 में हुई। इस योजना के तहत उन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को भारतीय प्रतिभूति शेयर बाजार मे निवेश करने की अनुमति दी गई, जिनका अन्य जगहों पर प्रदर्शन अच्छा रहा था। विदेशी संस्थागत निवेशकों को अपने आपको सेबी (SEBI) में एक स्टॉक ब्रोकर (शेयर दलाल) के रूप मे दर्ज कराना अनिवार्य था। इसका अर्थ यह है कि, भारत ने अब तक व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निवेश करने की अनुमति नहीं दी है, अभी तक मात्र संस्थागत निवेश को अनुमति दी गई है।

- **फेमा (विदेशी मुद्रा प्रंबधन अधिनियम) द्वारा फेरा (विदेशी विनियम नियमन अधिनियम) का प्रतिस्थापन**

सरकार ने वर्ष 1991 में ही कठोर फेरा अधिनियम को उदार फेमा द्वारा प्रतिस्थापित करने की वचनबद्धता जताई थी—इसे वर्ष 2000-01 से कार्यान्वित किया गया, फेरा के समापन के लिए दो वर्षों की समय सीमा निर्धारित की गयी।

उद्योगों की अवस्थिति से सम्बन्धित प्रावधानों को फेमा द्वारा सरल बना दिया गया, जो पहले एक अत्याधिक बोझिल तथा समय लेने वाली प्रक्रिया थी। इस नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योगों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया-'प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग' तथा इसके विपरीत वे उद्योग जो 'प्रदूषण नहीं फैलाते' हों। इन उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करने के लिए एक अत्यधिक सरल प्रावधान की घोषणा की गई—

(i) उन उद्योगों की स्थापना कहीं भी की जा सकती है जो प्रदूषण नहीं फैलाते हों।

(ii) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को मिलियन नगरों से कम से कम 25 कि.मी. की दूरी पर स्थापति किया जाना चाहिए।

- **चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता का अंत**

चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता के समापन के कारण अब निजी कंपनियां अनेक वस्तुओं तथा मॉडलों का उत्पादन एक साथ कर सकती थीं। अब उद्योगों की क्षमता तथा पूँजी का उपयोग पूरी तरह किया जा सकता था।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के बीच भेद करने की कोई एक कार्यमूलक आर्थिक कसौटी नहीं है। विभिन्न देशों में जो इनकी परिभाषाएं विकसित की गई हैं वे वहाँ की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में की गयी हैं। हमारे भारत में जो औपचारिक परिभाषा प्रचलित है वह करो में, वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन देने के लिए इकाइयों की पहचान करने के लिए अपनायी गयी है। नवीनतम आधिकारिक परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण निम्नवत् किया गया है।

तालिका 6.1: उद्योगों का वर्गीकरण

उद्योग	निर्माण उद्योग के लिए पूंजी आधार	सेवा उद्योग के लिए पूंजी आधार
(i) सूक्ष्म उद्योग	प्लांट एवं मशीनरी पर 25 लाख रूपये तक का निवेश।	उपकरणों पर 10 लाख रूपये तक का निवेश।
(ii) लघु उद्योग	प्लांट एवं मशीनरी पर 25 लाख से 5 करोड़ रूपये तक का निवेश।	उपकरणों पर 10 लाख से 2 करोड़ रूपये तक का निवेश।
(iii) मध्यम उद्योग	प्लांट एवं मशीनरी पर 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक का निवेश।	उपकरणों पर 2 करोड़ से 5 करोड़ रूपये तक का निवेश।

लघु एवं कुटीर उद्योग—अर्थ, महत्व, समस्यायें एवं सरकारी प्रयास

लघु उद्योगों से हमारा आशय उन उद्यागों से है जो निर्माण क्षेत्र में संलग्न उद्यागों में 1 प्लांट एवं मशीनरी पर 25 लाख से 5 करोड़ रूपये तक निवेश करते हो और सेवा क्षेत्र में संलग्न उद्योग के उपकरणों पर 10 लाख से 2 करोड़ रूपये तक निवेश करते हो। ये उद्योग कस्बों तथा शहरों में स्थित होते हैं इनमें ऊर्जा का प्रयोग होता है तथा वेतनधारी श्रमिकों की सहायता से

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जबकि कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जो कि प्राय: गाँवों में स्थित होते हैं, उत्पादन की परम्परागत विधियों का प्रयोग करते हैं तथा परिवार के सदस्यों अथवा बहुत थोड़ी मात्रा में श्रमिकों का सहयोग लेकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है जिसे निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है—

- भारत में जनसंख्या अधिक है। लघु और कुटीर उद्योगों में श्रम शक्ति को अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।
- भारतीय कृषकों को वर्ष में 6–7 महीने काम मिलता है। शेष समय में वह लघु और कुटीर उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
- भारत में पूँजी की कमी है तथा श्रम-शक्ति की बहुलता। छोटे और कुटीर उद्योगों में श्रम-प्रधान उत्पादन विधियों का प्रयोग करके पूँजी निवेश की समस्या को हल किया जा सकता है।
- लघु और कुटीर उद्योग स्थानीय कच्चा माल तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों का पूर्णतया उपयोग करने में सहयोग देते हैं।
- लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना सुदूर गाँव-कस्बों में की जा सकती है। इससे उद्योगों का केन्द्रीयकरण कुछ ही स्थानों पर नहीं होता और यह देश का सन्तुलित औद्योगिक विकास करने में सहायता करता है।
- लघु और कुटीर उद्योगों में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण कुछ लोगों के हाथों में नहीं हो पाता। औद्योगिक विकास के लाभ सभी लोगों में बाँटे जा सकते हैं, जिसे धन और आय की विषमताएँ दूर होती हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी उद्योगों का केन्द्रीयकरण उचित नहीं होता। कुटीर उद्योगों में विकेन्द्रीयकरण की अन्तर्निहित विशेषता विद्यमान होती है।
- लघु और कुटीर उद्योगों से राष्ट्रीय उत्पादन का एक बड़ा भाग प्राप्त होता है तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में इनका महत्पूर्ण योगदान होता है।

लघु उद्योगों की समस्याएँ

एक समय था जबकि भारत के लघु एवं कुटीर उद्योग विश्वविख्यात थे। अर्थात् कारीगरों और शिल्पियों की कला अद्वितीय थी। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय ये उद्योग विक्षिप्त अवस्था में थे तथा आज भी इन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ निम्नवत् हैं—

- **कच्चे माल की समस्या**—कुटीर तथा लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में उत्कृष्ट कोटि का कच्चा माल नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होता कच्चे माल के लिए काफी ऊँची कीमत देनी पड़ती है। जिस प्रकार भारतीय बुनकरों को सूत के लिए बड़ी मिलों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा इनको प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसी प्रकार कल-पुर्जे बनाने वाले उद्योगों को दुर्लभ कच्चा माल विदेशों से आयात करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **पूँजी का अभाव**—लघु उद्योगों का संचालन करने वाले उद्यमियो की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है इनकी साख सीमित होने के कारण ऋण प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है। पूँजी की प्राप्ति के लिए देशी महाजनों और साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है जो कि ऋणों पर ऊँची दर से ब्याज लेते हैं। पूँजी की कमी के कारण वे उद्योग मशीन का प्रयोग तथा अच्छी किस्म के माल का प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निर्मित वस्तु उत्कृष्ट किस्म की नहीं बन पाती है।
- **बिक्री सम्बन्धी कठिनाइयाँ**—लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं में प्रमापीकरण स्टैण्डर्डसाशन और श्रेणी करण ग्रेडेशन का अभाव पाया जाता है। इस वजह से इन वस्तुओं को दलालों, बिचौलियों तथा साहूकारों को बेचना पड़ता है, जो कि बदले में उचित मूल्य अदा नहीं करते। साधनों के अभाव के कारण कुटीर उद्योग अपनी वस्तुओं का प्रचार करने या प्रदर्शनियों का आयोजन करने में असमर्थ रहते हैं।
- **कर सम्बन्धी कठिनाइयाँ**—लघु उद्योगों को करों के भुगतान की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। उद्योगों के लिए स्थानीय करों तथा उत्पादन शुल्क, सीमा कर आदि भुगतान करना काफी कठिन होता है।
- **बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता**—कुटीर उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ती है। बड़े उद्योगो द्वारा निर्मित माल की उत्पादन लागत कम होती है, मशीनों के प्रयोग के कारण वस्तु समरूप और अच्छी किस्म की होती हैं, तथा प्रचार के माध्यमों का प्रयोग करके वे अपनी वस्तुएँ उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। लघु उद्योगों की वस्तुओं की लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे इनकी कीमत ऊँची होती है। और प्रचार के अभाव में वे अपनी वस्तुओ को उपभोक्ता तक पहुँचाने में असमर्थ रहते हैं।
- **प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ**—लघु उद्योगों के संचालकों में परस्पर संगठन तथा ताल मेल का अभाव है। शिक्षा तथा ट्रेनिंग के अभाव में ये उत्पादन और प्रबन्ध की नवीनतम विधियों से अनभिज्ञ रहते हैं उपभोक्ताओं की रूचियों के अनुकूल नई और आकर्षक वस्तुओं का उत्पादन करने में ये सर्वथा असमर्थ है। पुरानी और अप्रचलित विधियों द्वारा उत्पादन करने से वस्तुएँ अच्छी किस्म की और कम लागत पर निर्मित नहीं हो पातीं।

समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी प्रयत्न

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना और विकास पर बल दिया है। इस उद्योगों का समास्याओं को हल करने लिए निम्नलिखित प्रयास किये गये—

- **वित्त की व्यवस्था**—लघु और कुटीर उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने विशिष्ट संस्थाओं का गठन किया है। इनमें राज्य वित्त निगम, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ऋणों की व्यवस्था, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण, आदि प्रमुख हैं। वित्त की और आसान सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक विशिष्ट संस्था की स्थापना भी की गई। 500 करोड़ रूपये की पूँजी वाली इस संस्था का नाम है—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India) वर्तमान में सरकार ने इस क्षेत्र में मुद्रा बैंक (MUDRA Bank) की स्थापना की है।
- **तकनीकी सहायता**—लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए लघु उद्योग सेवा-संस्थाओं (SISI), औद्योगिक विस्तार सेवा (IES), आदि की स्थापना की गई है। ये संस्थाएं लघु उद्योगों के प्रबन्धकों को उत्पाद विधियां, बिक्री व प्रबन्ध आदि में सुधार के लिए प्रशिक्षण और सलाह देती हैं।
- **औद्योगिक बस्तियाँ (Industrial Towns)**—सरकार औद्योगिक बस्तियों की स्थापना कर रही है, जहाँ लघु उद्योगों के लिए इमारतों, कच्चे माल, यातायात के साधन, जल और शक्ति के साधनों, मशीनों और उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। उत्पादकों को उन सब आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सरकार औद्योगिक बस्तियों में करती है, जिनका व्यक्तिगत रूप से जुटाना उनके लिए कठिन होता है। वहाँ से आसान किश्तो में उत्पादक मशीनों, उपकरण, आदि की लागत का भुगतान कर सकते हैं।
- **बिक्री की सुविधायें**—बिक्री संवर्द्धन के लिए सरकार ने विभिन्न प्रयत्न किये हैं। सन् 1955 में **राष्ट्रीय उद्योग निगम** की स्थापना की गई जो सरकारी विभागों के लिए छोटे पैमाने पर बनी हुई वस्तुएं खरीदने की व्यवस्था करेगा। इसी प्रकार **राज्य व्यापार निगम** की स्थापना की गई है जो विदेशों से लघु उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के लिए आर्डर प्राप्त करेगा तथा विदेशों में प्रदर्शनी, आदि का आयोजन करेगा।
- **नई संस्थाओं की स्थापना**—लघु उद्योगों की समस्याओं को सही परिवेश में समझने और उनका समाधान करने के लिए सरकार ने कुटीर उद्योग-प्रमण्डल, केन्द्रीय सिल्क परिषद, अखिल भारतीय हस्तकला प्रमण्डल, अखिल भारतीय हथकरघा प्रमण्डल, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग का गठन किया है।
- **नयी लघु औद्योगिक नीति**—आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा 6 अगस्त, 1991 को नई लघु उद्योग नीति की घोषणा की। आने वाले वर्षों में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों की संख्या घटती गयी और उनमें मझोले या फिर बड़े उद्योगों का प्रवेश होना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार लघु उद्योगों के लिए उद्योगों की संख्या ही नहीं घटी बल्कि विद्यमान लघु उद्योगों को उन क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली बड़ी कम्पनियों से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ी। इस प्रतिस्पर्द्धा में लघु उद्योगों को घाटे का सामना करना पड़ा और भविष्य अंधेरे में दिखने लगा।

बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर तथा उदारीकरण के दौर में लघु उद्योगों को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाए पर सलाह लेने के लिए सरकार द्वारा दिसंबर 1995 में आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट 27 जनवरी, 1997 को सार्वजनिक की गयी। इस समिति द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सलाह दी गयी—

- लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रूपये करना (75 लाख रूपये से बढ़ा कर)।
- छोटी इकाईयों में निवेश सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रूपये करना (5 लाख रूपये से बढ़ा कर)।
- लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों (497 उत्पाद) को अनारक्षित करना।
- लघु उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा (24%) को समाप्त करना।
- लघु उद्योगों के वित्त पोषण संबंधी नायक समिति की सलाहों को लागू करना।
- लघु उद्योगों की सहायता के लिए (अगले 5 वर्षों में) 2500 करोड़ रूपये के पैकेज की सलाह।
- एक रिवाल्विंग कोष की व्यवस्था, जो छोटे उद्योगों की सहायता करें।
- सेवा क्षेत्र से जुड़ी इकइयों को भी लघु उद्योग माना जाये।
- लघु उद्योग क्षेत्र को लघुस्तरीय उद्यम क्षेत्र मानने की सलाह।
- लघु स्तरीय उद्यगों के लिए 'साख श्रेणी' की व्यवस्था करना।

आबिद हुसैन समिति के आलोक में आने वाले वर्षों में सरकार द्वारा लघु उद्योगों से जुड़े कई निर्णय लिए गए। 2 अक्टूबर, 2006 को केन्द्र द्वारा उनसे जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम को लागू किया गया, जिसके मूल अंश निम्न प्रकार है—

- लघु उद्योगों में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया।
- मध्यम उपक्रमों नामक लघु उद्योगों की एक नयी श्रेणी का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत ऐसे लघु उद्योगों को रखने का प्रावधान है, जिनकी निवेश सीमा 5 से 10 करोड़ रूपये के बीच है।
- सूक्ष्म उद्योगें की निवेश सीमा 25 लाख रूपये रखी गई।
- लघु तथा मध्यम उपक्रमों के उचित विकास के लिए 'राष्ट्रीय लघु एवं मध्यम उपक्रम बोर्ड' (NSMEB) की स्थापना।
- सेवा क्षेत्र के लघु उद्योगों की निवेश सीमा 2 करोड़ रूपये रखी गई तथा इसके अंतर्गत आने वाली मध्यम इकाईयों के लिए निवेश सीमा 2 से 5 करोड़ रूपये रखी गयी।
- लघु तथा मध्यम उपक्रमों में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कोष के गठन की घोषणा।

तालिका 6.2: लघु उद्योगों से संबंधित प्रमुख संगठन

संगठन	संबंधित तथ्य
• कुटीर उद्योग बोर्ड	वर्ष 1948 में भारत सरकार ने कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे तीन अलग-अलग बोर्डों में विभाजित कर दिया गया। नए स्थापित होने वाले बोर्ड थे—अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। इसके अलावा तीन और बोर्ड स्थापित किए गए। ये बोर्ड थे—लघु उद्योग बोर्ड, नारियल-जटा बोर्ड (Coir Board) तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड। इस प्रकार, पहली पंचवर्षीय योजना में संगठनात्मक ढांचा तैयार हो गया था जिसके माध्यम से सरकार ने लघु और कुटीर उद्योग के लिए विकास व सहायता कार्यक्रम को कार्यान्वित किया।
• ट्रेड (TREAD)	भारत सरकार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और यूएनडीपी द्वारा सम्मिलित रूप से 1997 में 'Trade Related Enterpreneurship Development Assistance (TREAD)' नामक कार्यक्रम आरम्भ किया गया।
• राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (National Small Industries Corporation–NSIC)	सरकार द्वारा देश में लघु उद्योगों की संवृद्धि, सहायता तथा पोषण करने के उद्देश्य से वर्ष 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) (National Small Industries Corporation Ltd.) की स्थापना की। एनएसआईसी, देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को सहायता देने के लिए अपने विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ पूरे देश में औद्योगिक विकास में निरंतर सबसे आगे रहा है। निगम के प्रमुख कार्य, सामान्यतया वाणिज्यिक आधार पर देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की वृद्धि का संवर्धन, सहायता तथा पोषण करना है। यह, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कच्ची सामग्री की प्राप्ति, उत्पाद विपणन, ऋण दर निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग), प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण, आधुनिक प्रबंधन पद्धतियां ग्रहण करने आदि क्षेत्रों में उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा विविध सहायता व सेवाएं उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एक आईएसओ 9001 प्रमाणित कम्पनी है। एनएसआईसी एक आत्मनिर्भर रूप से लाभांश प्रदान करने वाली कम्पनी है।
• सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विकास निगम (Micro, Small and Medium Enterprises Development Corporation—MSME-DO)	1954 में लघु उद्योग विकास निगम स्थापित किया गया। यह उद्योगों के सतत व संगठित विकास के लिए नीति बनाने वाली तथा विभिन्न गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने वाली संस्था (apex) है। इसके अधीन बहुत सारे लघु उद्योग सेवा संस्थान, शाखएं व टूल रूम इत्यादि आते हैं। लघु उद्योग विकास निगम का नया नाम सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास निगम कर दिया गया है।
• लघु उद्योग विकास संगठन (SIDO)	लघु उद्योग विकास संगठन (Small Industries Development Organization—SIDO) लघु व मध्यम उद्यम विकास की राष्ट्रीय एजेंसी है। भारत सरकार का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी, जिसे लघु उद्योग का विकास आयुक्त नियुक्त किया जाता है, इसका प्रमुख होता है। वर्ष 1954 में इसकी स्थापना फोर्ड फाउंडेशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। यह संगठन देश भर में लघु उद्यमों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराता है।
• महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्था	खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्धा, महाराष्ट्र में सोसाइटी (पंजीकरण) अधिनियम, 1860 के तहत 'महात्मा गंधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान' (पहले जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान) नामक एक राष्ट्र स्तरीय संस्थान की स्थापना की गई है। संस्था के मुख्य कार्य अनुसंधान और विकास का विस्तार, गुणवत्ता, नियंत्रण, सूचना से संबंधित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी प्रसार के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के अनुसंधान और विकास कार्यकलापों का सुधार करना है। इसका मुख्यालय वर्धा (गुजरात) में है।

तालिका 6.3: अन्य संस्थाएं/बोर्ड

क्र.	संस्थान / बोर्ड	स्थापना वर्ष
1.	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड	1949
2.	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड	1950
3.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	1990
4.	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक	1975
5.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए राष्ट्रीय बोर्ड	2006
6.	लघु उद्योग विकास संगठन	1954
7.	अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड	1954
8.	खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड	1956

महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न (Maharatna, Navratna and Miniratna CPSEs)

महारत्न

अवधारणा का प्रारंभ—24 दिसम्बर, 2009

महारत्न कम्पनी के लिए मापदण्ड—

- कम्पनी का सालाना नेट प्राफिट तीन वर्षों तक 5000 करोड़ रूपये से अधिक होना चाहिए।
- तीन वर्षों तक कंपनी का औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ रूपये से अधिक होना चाहिए।
- तीन वर्षों तक कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रूपये से अधिक होना चाहिए।
- कंपनी को पहले से ही नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।
- कंपनी का विदेशों में भी कारोबार हो।
- कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो।

पूंजी निवेश में स्वायत्तता—महारत्न कंपनियों को 5000 करोड़ रूपये तक के निवेश के फैसले अपने ही स्तर पर करने की छूट होती है।

महारत्न कम्पनी की कुल संख्या—8 [1. SAIL, 2. ONGC, 3. IOC, 4. NTPC, 5. CIL, 6. BHEL, 7. GAIL 8. BPCL] वर्ष 2017 में शामिल किया गया।

नवरत्न

अवधारणा का प्रारंभ—22 जुलाई, 1997

नवरत्न कम्पनी के लिए मापदण्ड—

- जिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों मे सरकार वैश्विक कंपनी बनने की सम्भावनाएं देखती है, उन्हें नवरत्न का दर्जा देती है।
- मिनीरत्न का दर्जा पहले से ही प्राप्त है।

पूंजी निवेश में स्वायत्तता—जिन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होता है वह कम्पनियां 1000 करोड़ रूपये तक के निवेश से संबंधित फैसले स्वयं अपने स्तर पर कर सकती है।

नवरत्न कम्पनी की कुल संख्या—16 [1. REC, 2. HPCL, 3. NALCO, 4. MTNL, 5. PFCL, 6. BEL, 7. SCI, 8. HAL, 9. OIL, 10. PGCIL, 11. RINL, 12. NMDC, 13. NLCL, 14. BPCl, 15. NACl, 16. SCOIL]

नवीनतम उपक्रम—

1. NBCCL (नेशनल बिल्डिंग कस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि.)
2. EIL (इंजीनियरिंग इंडिया लि.)
3. CONCOR (कन्टेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.)

मिनी रत्न

अवधारणा का प्रारंभ—8 अक्टूबर, 2002 में शुरू किया गया

मिनी रत्न के लिए मापदण्ड

- मिनीरत्न-I विगत तीन वर्षों में लगातार लाभ या विगत तीन वर्षों में एक वर्ष 30 करोड़ रूपये का लाभ।
- मिनीरत्न-II विगत 3 वर्षों तक लगातार लाभ तथा सकारात्मक कुल परिसंपत्ति।

पूंजी निवेश में स्वायत्तता—मिनीरत्न-I 500 करोड़ रूपये तक या अपनी परिसंपत्ति के बराबर निवेश छूट, जो भी कम हो।

मिनीरत्न-II 300 करोड़ रूपये तक या अपनी परिसंपत्ति के 50% तक निवेश छूट जो भी कम हो।

मिनी रत्न कं. की कुल संख्या—73 (मिनी रत्न श्रेणी I-56, मिनी रत्न श्रेणी II-17)

नवीनतम उपक्रम—1. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, 2. ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स आल इंडिया लि. 3. कोचीन शिपयार्ड लि. 4. हिंदुस्तान कॉपर लि. 5. इंडियन रेलवे केटरिंग और पर्यटन निगम लि., 6. मिश्रधातु निगम लि., 7. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि. 8. सतलुज जल विद्युत निगम लि.

नया कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2003)

लोक सभा द्वारा पारित	:	दिसम्बर, 2012
राज्य सभा द्वारा पारित	:	8 अगस्त, 2013
राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित	:	29 अगस्त, 2013

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- नया कानून कम्पनियों को पहले से अधिक जवाबदेह बनायेगी। और उनके गवर्नेंस को भी मजबूती प्रदान करेगी।

- नए कंपनी कानून के जरिये ऐसी प्रणाली विकसित करने की कोशिश की गई है जिससे धोखाधड़ी की घटनाएं होने से पूर्व ही उन पर रोक लगाई जा सके।
- नए कानून मे कम्पनियों के लिए अपनी तीन वर्ष की औसत आय का न्यूनतम 2% भाग कार्पोरेट सोशल दायित्व के लिए खर्च करना अनिवार्य किया गया है। यह नियम उन कंपनियों पर लागू होगा जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ रूपये से अधिक है या फिर जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ रूपये से अधिक है या फिर पिछले तीन वर्षों में जिनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक रहा हो।
- 5 वर्ष के अन्तराल के पश्चात आडिटर बदलना अनिवार्य है।
- कोई आडिटर एक समय में अधिकतम 20 कंपनियों को ही सेवा दे सकेगा।
- किसी प्राइवेट कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की अधिकतम संख्या अब 12 के स्थान पर 15 हो सकेगी (विशेष प्रस्ताव द्वारा इस संख्या मे वृद्धि संभव है)
- निदेशक मंडल मे कम से कम एक महिला निदेशक का होना आवश्यक है।
- निदेशक मंडल मे न्यूनतम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होना अनिवार्य है।
- निदेशक व कर्मचारियों के औसत वेतन मे अंतर का खुलासा करना अनिवार्य है।
- कारोबार बंद करने की स्थिति मे कर्मचारियों को दो वर्ष तक वेतन देना अनिवार्य है।

ध्यातव्य हो कि

कम्पनी एक्ट 2013 ने कम्पनी एक्ट 1956 का स्थान लिया है।

6ठी आर्थिक गणना, 2013-14 के अनुसार (Sixth Economic Census, 2013-14)

- **सर्वाधिक उद्यम संख्या वाले राज्य**— 1. उत्तर प्रदेश, 2. महाराष्ट्र, 3. प. बंगाल, 4. तमिलनाडु, 5. आंध्र प्रदेश
- **सर्वाधिक उद्यम संख्या वाले के.प्र.**— 1. दिल्ली, 2. चण्डीगढ़, 3. पुदुचेरी
- **सर्वाधिक रोजगार सर्जन करने वाले राज्य**— 1. महाराष्ट्र, 2. उत्तर प्रदेश, 3. प. बंगाल, 4. तमिलनाडु, 5. गुजरात
- **सर्वाधिक रोजगार सर्जन करने वाले के.प्र.**— 1. दिल्ली, 2. चंडीगढ़, 3. पुदुचेरी
- **उद्यमों में सलग्न कामगारों में महिलाओं के सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य**— 1. मिजोरम, 2. मणिपुर, 3. केरल, 4. मेघालय, 5. सिक्किम
- **5वीं एवं 6ठी आर्थिक गणना के बीच सर्वाधिक उद्यमों की संख्या मे वृद्धि वाले राज्य एवं के.प्र.**— 1. मणिपुर, 2. सिक्किम, 3. असम, 4. नागालैंड, 5. तेलंगाना एवं 1. अण्डमान निकोबार, 2. चण्डीगढ़, 3. दादर नागर हवेली।
- **5वीं एवं 6ठी आर्थिक गणना के बीच सर्वाधिक रोजगार सर्जन करने वाले राज्य एवं के.प्र.**— 1. मणिपुर, 2. असम, 3. सिक्किम, 4. उत्तर प्रदेश, 5. हिमाचल प्रदेश एवं 1. अंडमान निकोबार, 2. दादर नागर हवेली, 3. दमन एवं द्वीप
- देश में आर्थिक गणना के महत्वपूर्ण तथ्य—
  - देश में प्रथम आर्थिक गणना 1977 मे की गयी। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं आर्थिक गणना के वर्ष क्रमश: 1981, 1991, 1998 एवं 2005 है।
  - देश में 6ठी आर्थिक गणना का कार्य जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के मध्य सभी राज्यों एवं के.प्र. के अर्थ व सांख्यिकीय निदेशालयों के सहयोग से कराई गई जिसके अंतिम आंकड़े 30 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रलय के सचिव डा. टी. सी.ए. अनंत द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में जारी किये गये।
  - जिस प्रकार राष्ट्रीय जनगणना के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया जाता है, उसी प्रकार आर्थिक गणना के लिए 'राष्ट्रीय व्यापार रजिस्टर' बनाया जाता है।

देश में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) की स्थिति (2014-15 के अनुसार)

- केन्द्र सरकार के उपक्रमों के निष्पादन के सम्बन्ध में भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 26 जनवरी 2016 को संसद में प्रस्तुत की गई।
- **CPSEs की कुल संख्या**— 298 (235 कार्यशील है)।
- **लाभ अर्जन करने वाली CPSEs**—157 (1,30,363 करोड़) रूपये निवल लाभ।
- **घाटे में रहने वाली CPSEs**— 77 (27,360 रूपये करोड़ निवल हानि)।

औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness)

भारत में औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में एक प्रमुख समस्या औद्योगिक रूग्णता की समस्या है। रूग्ण इकाइयों के निरन्तर वित्तीय प्रवाह से बैंकिंग संसाधनों के दुरूपयोग के साथ-साथ सरकार के व्यय में भी वृद्धि होती है।

औद्योगिक रूग्णता की समस्या पर विचार करने के लिए तिवारी समिति (1981) की सिफारिशों के आधार पर 1985 में **रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम** (SICA) पारित किया गया था तथा बाद में एक सांविधिक संस्था **औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड** (BIFR) की स्थापना की गई।

औद्योगिक रूग्णता की समस्या के समाधान का उत्तरदायित्व औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) को सौंपा गया है। 15 मई, 1987 को इसकी स्थापना से लेकर नवम्बर, 2007 तक कुल 7158 मामले इसकी जांच के अन्तर्गत लाए गए हैं।

औद्योगिक रुग्णता की समस्या पर गोस्वामी समिति तथा बालकृष्ण इराडी समिति की सिफारिशें

अप्रैल 1993 में औद्योगिक रूग्णता पर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के डॉ. ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 जुलाई, 1993 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में रूग्णता की परिभाषा बदलने के साथ-साथ रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम (SICA) में आमूलचूल परिवर्तन करने तथा औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) की भूमिका में परिवर्तन करने की संस्तुति की। समिति का दृष्टिकोण है कि BIFR की रूचि बीमार इकाइयों को बन्द करने के स्थान पर उनके पुनर्वास में अधिक रही है। पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना वास्तव में अकुशल व गैर-जिम्मेदार उद्यमियों को पुरस्कृत करने के समान है। इससे श्रमिकों को अल्पकाल में भले ही लाभ होता हो, दीर्घकाल में उन्हें हानि ही होती है।

कम्पनियों के दिवालियापन के संबंध मे सुझाव देने के लिए बी. बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त, 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी थी। समिति ने कम्पनियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन के सुझाव दिए थे। इनमें प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (NCLT) के गठन का प्रस्ताव शामिल है। वर्तमान में प्रभावी सिक इंडस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रॉविजंस) एक्ट 1985 (SICA-1985) निष्प्रभावी हो गया है। इसके साथ-साथ 'बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (BIFR), एपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन (AAIFR) व कम्पनी लॉ बोर्ड (CLB) का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा तथा इनके सभी दायित्व नए गठित किए जाने वाले 'नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल' (NCLT) के दायरे में आ गये है। ट्रिब्यूनल की देशभर में कुल 10 पीठें (Benches) होंगी, जबकि इसकी अपीली पीठ दिल्ली में होगी। अपीली पीठ के निर्णयों के विरूद्ध याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकेगी।

नए अधिनियम (कम्पनी दूसरा संशोधन विधेयक 2002) के तहत किसी कम्पनी को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी तब कहा जाएगा जब विगत लगातार चार वर्षों में से किसी एक या अधिक वर्षों में वित्तीय वर्ष के अन्त में इसकी संचित हानि इसके नेट वर्थ का 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा/अथवा जो कम्पनी लगातार तीन तिमाहियों तक अपने ऋणदाताओं को अपनी देयताओं का भुगतान करने में असफल रही हो।

अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले 'इन्सॉल्वेंसी फण्ड' के भरण के लिए बड़ी कम्पनियों पर उनके वार्षिक टर्नओवर का 0.005 प्रतिशत अधिभार (Cess) लगाने का प्रावधान प्रारम्भ किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर अधिभार को 0.1 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा। 0.005 प्रतिशत की दर से अधिकार आरोपित किए जाने पर कोष के लिए 75 करोड़ रूपये की राशि प्रतिवर्ष जुटाई जा सकेगी।

प्रस्तावित इन्सॉल्वेंसी फंड का इस्तेमाल रूग्ण कम्पनियों की पुनर्संरचना करने या उन्हें बन्द करने की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों की देयताओं का भुगतान करने व रूग्ण कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए किया जा सकेगा। चक्रीय किस्म के इस फण्ड का संचालन नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाएगा।

औद्योगिक वित्त (Industrial Finance)

भारत में उद्योगों को तीन प्रकार के वित्त की व्यवस्था करनी होती है, जो निम्नवत् है—

औद्योगिक वित्त की आवश्यकता

दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता

- स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन व मशीनें इत्यादि खरीदने हेतु।
- औद्योगिक इकाई के विस्तार एवं पुनस्थापना हेतु।

मध्यकालिक वित्त की आवश्यकता

- दीर्घकालीन वित्त का ही एक भाग मध्यम अवधि के लिए हो सकता है।

अल्पकालिक वित्त की आवश्यकता

- कच्चा माल व मध्यवर्ती वस्तुएं खरीदनें तथा दैनिक व्ययों की पूर्ति करने के लिए।

औद्योगिक वित्त के स्रोत

औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाले स्रोतों को दो भागो में बांटा जा सकता है—

1. परम्परागत स्रोत
2. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं

1. **परम्परागत स्रोत**—इसके अन्तर्गत हम निम्न स्रोतों को शामिल करते है—
   - **अंशपत्र**—किसी भी कंपनी की स्थापना के समय अंशपत्र जारी किए जाते हैं। साधारण अंशधारियों को लाभों के अनुसार लाभांश मिलता है तथा अधिमान अंशधारियों को निश्चित दर पर लाभांश मिलता है।
   - **ऋणपत्र एवं बॉण्ड**—कम्पनी अपने ऋणपत्रों को बेचकर भी पूँजी इकट्ठी करती है। ऋणपत्रधारियों को अपनी पूंजी पर निश्चित दर के अनुसार ब्याज मिलता है।
   - **सार्वजनिक जमा**—कम्पनी कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए अपने कर्मचारियों तथा जनसाधारण की लघु बचतों को एकत्रित कर सकती है। सार्वजनिक जमा पर अवधि के अनुसार ब्याज दिया जा सकता है। लेकिन आधुनिक समय में बड़े उद्योगों की पूँजीगत आवश्यकताएँ काफी व्यापक हैं, जिनको पूरा करने में ये परम्परागत व्यवस्थाएँ असमर्थ हैं। इसलिए औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की गई है।

2. **विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं**—उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की गयी है जिनमें निम्न प्रमुख है—
   - औद्योगिक वित्त निगम
   - आईसीआईसीआई लि.
   - भारत का औद्योगिक विकास बैंक
   - राज्य वित्त निगम
   - राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
   - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

अध्याय सार संग्रह

- स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करने वाले उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते है।
- कुटीर उद्योगों के रूप में विकसित राज्य गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान है।
- भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कपड़ा उद्योग है।
- स्वदेशी आन्दोलन को प्रभावित करने वाला उद्योग कपड़ा उद्योग है।
- अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन कहलाता है।
- इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर (कर्नाटक) में स्थापित है।
- देश में सिलिकॉन घाटी की उपमा बंगलौर को दी गयी है।
- देश का पहला सिले सिलाये वस्त्रों का पार्क तमिलनाडु के तिरूपुर में एट्टीपरक्पलायम गांव में स्थापित किया गया है।
- केन्द्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान मैसूर एवं बरहमपुर में स्थापित है।
- केन्द्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान मेन्दीपाथर (मेघालय) में स्थापित है।
- विश्व में सर्वप्रथम रेशम चीन में चलन में आया।
- केन्द्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची (झारखण्ड) स्थापित है।
- पशमीना ऊन विशेष नस्ल की बकरी जिसे गुर्जरों द्वारा प्राय: कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में पाला जाता है, से प्राप्त होता है।
- विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन खरागोश के रोएं से प्राप्त होता है।
- भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कानपुर में (1876) स्थापित किया गया था।
- ऊन उत्पादक अग्रणी राज्य पंजाब है।
- कालीन निर्माण के लिए भदोही, मिर्जापुर एवं गोपीगंज प्रसिद्ध हैं।
- H.M.T. बंगलौर की स्थापना वर्ष 1963 में स्विट्जरलैण्ड के सहयोग से हुई।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (NIPER) मोहाली (चण्डीगढ) में स्थित है।
- कांच उद्योग के लिए उ.प्र. में फिरोजाबाद जिला तथा कर्नाटक में बेलगाम जिला प्रसिद्ध है।
- कागज उद्योग के लिए नेपानगर, होशंगाबाद, टीटागढ़ तथा राजामुन्द्री प्रसिद्ध है।
- प्लास्टिक उद्योग के कच्चे माल की व्यवस्था तेल शोधन शालाओं (Oil Refinery) से होती है।
- डॉ. ओकार गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध में सुझाव देने से (उनका सुझाव था कि SICA में परिवर्तन किया जाये तथा BIFR की भूमिका में बदलाव किया जाये।) है।

- बी. बालकृष्ण इराडी समिति ने सिफारिश National Company Law Tribunal (NCLT) के गठन और उसे कम्पनी लॉ बोर्ड के सारे अधिकार प्रदान करने की सिफारिश वर्ष 2000 में की।
- सर्वाधिक औद्योगिक रूग्ण इकाइयाँ बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थित है।
- असंगठित क्षेत्रों के उद्यमों की समस्याओं के निदान हेतु बना राष्ट्रीय आयोग डॉ. अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में बना।
- देश में मान्यता प्राप्त श्रम संघों की संख्या 12 है। (सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला श्रम संघ क्रमश: भारतीय मजदूर संघ व इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस हैं)
- सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET) की स्थापना वर्ष 1868 में चेन्नई में की गयी।
- सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में हैं।
- खनिज तेल की कुल मांग का लगभग 20 प्रतिशत घरेलू आपूर्ति से पूरा होता है।
- नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने के लिए प्रमुख कच्चा माल नेफ्था है।
- रिटेल कारोबार की विश्व की सबसे बड़ी कम्पनी वाल मार्ट (अमेरिका) है।
- सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न तथा मिनीरत्न श्रेणी में विभक्त करने की अवधारणा 9वीं पंचवर्षीय योजना में (1997–2002) अपनायी गयी।
- औद्योगीकरण की प्रक्रिया तीव्र हाने पर अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है।
- ज्ञान आधारित उद्योग की उपमा सूचना प्रौद्योगिकी को प्रदान की जाती है।
- भारत में दुर्गापुर इस्पात संयत्र की स्थापना दुर्गापुर (पं बंगाल) में ब्रिटेन के सहयोग से की गयी।
- नेपानगर (म.प्र.) अखबारी कागज के निर्माण के लिए जाना जाता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया वर्ष 1991–92 में प्रारम्भ हुई।
- जूट का सामान, रेश्मी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और ऊनी कालीन क्रमश: टीटागढ़, बंगलौर, लुधियाना, भदोही में प्रसिद्ध है।
- पेट्रोरसायन उद्योग के लिये आदर्श दशायें गुजरात राज्य में पायी जाती हैं।
- मीरा सेठ समिति का सम्बन्ध हथकरघा के विकास से है।
- गोल्डेन हैण्ड शेक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना से संबंधित है।
- हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है।
- भारत में उद्यमों हेतु लाइसेन्सिंग प्रणाली का आधार उद्योग अधिनियम 1951 था।
- आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी एवं कानपुर क्रमश: उर्वरक, रबर, पाली फाइबर और विस्फोटक के लिए भारत का प्रचीनतम विशाल उद्योग है।
- कोयम्बटूर, राउरकेला, कपूरथला तथा बरौनी नामक स्थान क्रमश: सूती वस्त्र, लौह इस्पात, रेल डिब्बा, और तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध हैं।
- कोयले की सर्वाधिक खपत विद्युत उत्पादन में होती है।
- श्रम गहन उद्योग है, जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है।
- लघु उद्योगों की विशेषता हड़ताल व तालाबंदी नहीं है।
- बोकारो इस्पात कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया।
- आबिद हुसैन समिति का संबध लघु एवं मध्यम उद्योग से है।
- रेनूकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री 'हिंडाल्को' का वहां स्थित होने का मूल कारण बिजली की प्रचुर आपूर्ति है।
- कंपनी की तुलनपत्र (Balance Sheet) कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार को प्रदर्शित करता है।
- केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना अक्टूबर 2005 में हुई है।
- नायक समिति का सम्बन्ध लघु उद्योगों से है।
- भारत का प्रथम उर्वरक उद्योग सिंदरी में लगाया गया था।
- भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का श्रीगणेश वर्ष 1870 में, बंगाल आयरन वर्क्स कम्पनी ने झारिया के निकट कुलटी, प. बंगाल में हुआ था।
- भारत में लोहा व इस्पात के बड़े पैमाने में उत्पादन का प्रयास वर्ष 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO) के साथ हुआ।
- इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना वर्ष 1937 में बर्नपुर, प. बंगाल में की गयी।
- विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की स्थापना वर्ष 1923, भद्रावती, कर्नाटक (सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई) में की गयी।